

13/11/22

पत्रावली पेश हुई, वकील डिडीएच उप
 प्रकरण में तहसीलदार कोटा से पालाश
 रिपोर्ट प्रदा जिस शांन्दा 0 डि ग्राम
 प्रकरण ये रिडी की पालना ले जाते
 ले प्रकरण में और कोई आवश्यक
 शेष नहीं होने से पत्रावली को कार्रवाई
 हुई है, या समाप्त की जाती है।
 पत्रावली फिलहाल स्थगित होकर उक्त
 नामक ल काम हो



उपखण्ड अधिकारी बदन
 सहायक कलक्टर कोटा

